न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

मु० नं० 9/13 — तारीख रजू 20.2.13

उनवान। रतना बनाम रतल्ली वगै०

~~[illegible]~~ बाबत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा।

प्रार्थी की ओर श्री रामभरोसी गुप्ता Adv० ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया। प्रार्थना पत्र शपथ पत्र दस्तावेजों का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गयी प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः ~~[illegible]~~ गैर सायलान ~~को~~ व सायलान जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम भांद की भूमि ख०नं० 519/0.14 524/0.44 525/0.47 किता 3 कुल रकबा 1.05 पर रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। गैरसायलान को नोटिस जारी हो। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर पत्रावली 13.3.13 को पेश हो।

उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

13/3/13 बार द्वारा कार्य स्थगन रखा गया है। अप्रार्थी नं. 2, 6, 7 की तामील स्वयं द्वारा, अप्रार्थी नं. 1, 3, 4, 5, की तामील चस्पानगी सेतवा नं. 8 की तामील भाई के द्वारा हुई है किन्तु कोई उप० नहीं है। बार ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर रखा है अतः अग्रिम आदेश दिनांक 1.5.13 को पेश हो।

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

मु. नं. 9/13 ता.रजू 20.2.13

पीठासीन अधिकारी- जगदीश आर्य R.A.S.

उनवान

1. रतना पुत्र सालगा (मृतक)

1/1 रामसहाय
1/2 किशनलाल
1/3 रामकेश
1/4 छोटे लाल
1/5 विनोद कुमार
} पि० रतना

1/6 मोती देवी पत्नि रतना

समस्त जाति बैरवा निवासी नांद कला तहसील टोडाभीम (प्रार्थीगण)

बनाम

1. रतल्लो पुत्र भोरया
2. शिवराम पुत्र रतल्लो
3. गुट्टीराम पुत्र रतल्लो
4. बदीया पुत्र रतल्लो
5. राधेश्याम पुत्र रतल्लो
6. चिरंजी पुत्र हरेत
7. जगमोहन पुत्र भागरत्या
8. मंदोर पुत्र भागरत्या

समस्त जाति मीना निवासी नांद कलां तहसील टोडाभीम (अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति - श्री रामभरोसी गुप्ता - एडवोकेट (प्रार्थीगण)
श्री सुरेश चंद शर्मा - एडवोकेट (अप्रार्थीगण)

निर्णय दिनांक 12.3.16

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस प्रकार से (लगातार)

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

2043 से 2062 तक में उक्त भूमि को साबिक खसरा नं0 73/8 रकबा 5 बीघा से दर्शाया गया है। साबिक खसरा नं0 73/8 रकबा 5 बीघा प्रार्थी को कार्यालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौनसिटी ने दिनांक 24.10.1975 को अलोटमेन्ट की गयी थी जिसका बटा नं0 73/8 डाला

Scanned by CamScanner

प्रस्तुत किया है कि ग्राम चाँद की भूमि ख.नं. 517 रकबा 0.12 है०, 518 रकबा 0.09 है०, 519 रकबा 0.14 है०, 524 रकबा 0.44 है०, 525 रकबा 0.47 है० कुल बिता 5 कुल रकबा 1.26 है०, की खातेदारी जमाबंदी संवत 2068 से 2071 में रतना के नाम दर्ज है साबिक खं.नं. 73/8 रकबा 5 बीघा प्रार्थी को उपखंड अधिकारी हिण्डौन ने दिनांक 24.10.75 को आंवटन की थी. आंवटन के बरवक्त ही मौके पर 5 बीघा भूमि पर कब्जा दिया गया था साबिक नक्शा सीट में तरमीम कर 73/8 रकबा 5 बीघा डाला गया प्रार्थी तभी से ही अपनी भूमि पर काबिज चला आ रहा है। ख.नं. 73 में काफी रकबा था प्रार्थी के साथ-साथ अन्य व्यक्तियों को भी भूमि आंवटन की गई थी जिनका भी बटा नम्बर डाला गया था। भू प्रबंध विभाग ने गत ख.नं. 73 का हाल ख.नं. 139 बनाया है, रकबा 2.05 है० किस्म चरनोट चारागाह दर्ज कर राज० सरकार की खातेदारी में दर्ज कर दिया है हाल खं.नं. 519, 524, 525 की खातेदारी गलत दर्ज की है जबकि प्रार्थी के नाम हाल ख.नं. 139 में रकबा 1.05 है० की खातेदारी प्रार्थी के नाम होनी चाहिए थी तथा इन्ही ख.नं. पर प्रार्थी का बरवक्त आंवटन से कब्जा चला आ रहा है प्रार्थी की यह भूमि आम रास्ता सड़क के लगता है भू प्रबंध विभाग की क्लेरिकल मिस्टेक है। जिसका दुरुस्त होना आवश्यक है तथा खं.नं. 519, 524, 525 की जो खातेदारी दर्ज की है वह किस्म चारागाह होनी चाहिए तथा खं.नं. 139 रकबा 1.05 है० की खातेदारी प्रार्थी के नाम होनी चाहिए। प्रार्थी अशिक्षित व ग्रामीण आदमी है भू प्रबंध विभाग की गलती की जानकारी दि. 8.11.12 को नकल जमाबंदी लेने पर हुई तथा पटवारी हल्का से नक्शा ट्रेस की नकल लेने पर हुई। अप्रार्थी प्रार्थी के नाम दर्ज भूमि खं.नं. 519, 524, 525 में अवैध रूप से मकान निर्माण करने व भूमि को कृषि से अकृषि में तब्दील करने पर उतारु है तथा उन्होंने दिनांक 19.2.13 को इस भूमि में मकान बनाने की एलानिया धमकी दी। इन्हें काफी समझाया फिर

(लगातार)

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

भी वे नहीं माने। तहसीलदार जी ने भी दुरुस्ती करने से इन्कार कर दिया है। इस कारण दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। दौराने दावा वादीरतना का देहान्त दिनांक 7.9.14 को होगया, द. मंजूर होने पर जरिये शो. वादपत्र वारिसों की ओर से पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ अप्रार्थीगण पेश कर निवेदन है कि इन्हे ग्राम नांद की भूमि ख.नं. 519, 524, 525 मे किसी भी प्रकार के निर्माण नहीं करने के लिए पाबंद फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अप्रार्थीगण नं. 3, 5 ने नोटिस लेने से इन्कार किया इस कारण उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। शेष गैरसायलान ने जरिये वकील उपस्थित होकर जबाब पेश किया कि वादी ने जो दावा मय प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया है उसमें सायल को सफलता मिलने की लेश मात्र भी संभावना नहीं है क्योंकि सायल की सड़क के लगवां कोई भूमि नहीं है। सही कथन यह है कि ख.नं. 519, 524, 525 पर सायल का कब्जा नहीं है नाहि उक्त भूमि पर या उसके साबिक नम्बर पर सायल का कभी कब्जा रहा है। तथा कथित तारीख 19.2.13 एकदम गलत मनगढ़न्त व कपोल कल्पित अंकित की है। ~~अब~~ सायलान का उक्त ख.नं. 519, 524, 525 पर काबिज ही नहीं है कब्जा के अभाव में प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है भूप्रबंध विभाग ने हाल रिकार्ड सही बनाया है इसलिए सायलान का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है. अतः प्रार्थना पत्र सायलान खारिज किया जावे।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। सर्वप्रथम

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

(लगातार)

प्रार्थी वकील ने बहस प्रारम्भ करते हुए कथन किया कि सन् 1975 में 5 बीघा आंवटन हुई थी आंवटन के समय से ही कब्जा में दी गई भूमि पर कब्जा है। भूप्रबंध विभाग ने नवीन रिकार्ड कायम करते हुए खं.नं. 519, 524, 525 की गलत खातेदारी देदी जबकि खं.नं. 131 रकबा 2.05 है में से 1.05 है० की खातेदारी दी जानी चाहिए थी। नवीन खं.नं. 519, 524, 525 की खातेदारी वादी के नाम है जिस पर गैर सायलान जबरदस्ती मकान बनाकर कब्जा करना चाहते है यह भूमि सड़क के लगंमा है, गैर सायलान अवैध रूप से सायलान की भूमि पर कब्जा कर मकान बनाना चाहते है उन्हें पाबंद करना जरूरी है। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि खं.नं. 519, 524, 525 पर सायलान का कभी भी कब्जा नहीं रहा है, न ही आज है बल्कि गैरसायलान के विगत 10-12 सालो से तो मकान बने हुए हैं, वादीगण ने यह दावा गलत पेश किया है, एक तरफ तो इन्द्राज दुरूस्ती करावा पेश कर रहे है, एक तरफ स्वयं वादी ने अपने प्रार्थनापत्र में ही विवादित भूमि में अपना कब्जा नहीं माना है तथा गैरसायलान का ही कब्जा माना है, अपने नाम की खातेदारी का गलत फायदा उठा कर गैरसायलान को परेशान, हैरान करना चाहते है, कब्जे के अभाव मे सायलान का प्रार्थना पत्र चलने ही योग्य नहीं है, प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया

(लगातार)

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

(5)

पत्रावली का अवलोकन किया। सायल रतना को 5 बीघा भूमि ख.नं. 73/8 ग्राम जोंद मे से दिनांक 24.10.75 को आवंटित हुई है भू प्रबंध विभाग ने नवीन ख.नं. 517, 518, 519, 524 एवं 525 कुल रकबा 1.26 है० कायम किये हैं संलग्न जमाबन्दी ट्रेस साबिक व हाल के अनुसार सही कायम किये हैं। सायल स्वयं ने वादपत्र मे यह अंकित किया है कि नवीन ख.नं. 139 रकबा 2.05 है० मेसे (चरनोट) मुझे 1.05 है० की इन्द्राज दुरुस्ती करण्या खातेदारी चाही है तथा ख.नं. 519, 524, 525 की गलत खातेदारी दर्ज कर दी है, सायल/वादी स्वयं ने ख.नं. 139 रकबा 1.05 है० पर बवजह आवंटन से कब्जा होना संशोधित वादपत्र मे वर्णित किया है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि सायल का ख.नं. 519, 524, 525 की भूमि पर कब्जा नहीं है, तथा इस भूमि पर गैरसायलान के मकान बने होना दौराने बहस वकील उभय पक्ष ने भी माना है। सायल ने भी इन ख.नम्बरान के संबंध मे ही रिलीफ चाही है।

अत: ग्राम जोंद की भूमि ख.नं. 519, 524, 525 पर सायल का कब्जा नही होने से सायल का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12.3.16 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner